पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक (बी.व्ही.एससी एण्ड ए.एच)/ मत्स्य विज्ञान स्नातक (बी.एफ. एससी) पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET-UG) 2024 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका सत्र 2024–25

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

भाग 1

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच., स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1.0 **सामान्य जानकारी**:- ये नियम नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रकाशित बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच.,स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम कहलायेंगे जिसमें प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (NEET-UG) 2024 के मेरिट के आधार पर किया जावेगा ।

1.1 स्नातक डिग्री एवं अवधि: बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच., पाठयक्रम की अवधि साढे पॉच (**5½**) वर्ष (इन्टर्नशिप सहित) है एवं शिक्षा का माध्यम अग्रेजी भाषा होगी।

1.2 स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें

1.2.1 **<u>बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठयक्रम</u>** में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे, जिनके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET-UG) 2024 के आधार पर की जावेगी।

1.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होनें माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा संचालित (10+2) पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या केन्दीय सरकार अथवा संबधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल की 12 वी की समकक्ष परीक्षा में नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

(अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान

तथा

(ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इस पाठयक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठयक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हताकारी 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक सूची प्रस्तुत करेगें। ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की अर्हताकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होगें, भले ही उन्होंने NEET-UG की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।

1.3 **न्यूनतम योग्यता:** अभ्यर्थी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET) 2024 परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा । श्रेणी एवं वर्ग वार न्यूनतम नीट परसेन्टाइल अंक (Cut-Off Marks) Qualifying Criteria of NEET (UG) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अधीन मान्य होगें। यह Cut-Off Marks पंजीयन हेतु एवं सीटों के आवंटन हेतु लागु होगें। आवश्यतानुसार Cut-Off Marks कम किया जा सकता हैं।

बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर/ अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण् होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण् होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 47.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें । परन्तु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिशत अंक पंजीयन हेतु एवं सीटों के आवंटन हेतु लागु होगें।

1.4 पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण अगले पृष्ठ में दर्शाया गया है।

बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठयक्रम में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

1. फ्री सीट

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							EWS			महा योग
	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	**योग**	
जबलपुर	10	4	0	1	0	0	15	5	2	0	0	1	0	8	6	4	0	0	0	1	11	9	5	1	0	0	0	15	4	2	6	55
महू	9	5	0	0	1	0	15	5	3	0	1	0	0	9	6	3	1	0	1	0	11	8	5	0	1	0	1	15	4	1	5	55
रीवा	9	4	0	0	0	1	14	4	3	1	0	0	1	9	6	3	1	1	0	0	11	9	4	1	0	1	0	15	4	2	6	55
योग	**28**	**13**	**0**	**1**	**1**	**1**	**44**	**14**	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**	**26**	**18**	**10**	**2**	**1**	**1**	**1**	**33**	**26**	**14**	**2**	**1**	**1**	**1**	**45**	**12**	**5**	**17**	**165**

2. पेमेंट सीट

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							EWS			महा योग
	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	**योग**	
जबलपुर	4	2	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	5	2	0	2	20
महू	3	2	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0	5	1	1	2	20
रीवा	4	1	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	6	1	1	2	20
योग	**11**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**7**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**8**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**11**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**4**	**2**	**6**	**60**

वर्गः F = महिला, KS= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, SN = सैनिक, PH = दिव्यांग , EWS = आथिर्क रूप से कमजोर, X = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ।

1.4.1. **पेमेंट सीटों में प्रवेश:-**

तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में 20 प्रतिश्त सीटें पेमेंट सीट होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET) 2024 के मेरिट के आधार पर पेमेंट सीट में प्रवेश दिया जायेगा। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यथ्यिों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के सीटों में प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होगें। काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** / पोर्टल https://ndvsu.mponline.gov.in देखें।

1.4.2. तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में 15 प्रतिश्त सीटों पर प्रवेश भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्र (VCI) नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा।

1.4.3. **कश्मीरी प्रवासी एवं कशमीरी पंडित/हिंदु परिवारों (अप्रवासी) कशमीरघाटी में निवासरत के बच्चों के** बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिश्त सीटें निर्धारित होंगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें। इनकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है।

1.4.3.1 **जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थीयों के लिए** बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त दो सुपरन्यूमरी कोटा सीटें निर्धारित होंगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें। इनकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है।

1.4.4. **एन.आर.आई./अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु** (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें): बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. उपाधि पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. के लिए आरक्षित रहेगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें। इनकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है।

1.4.5 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात संस्था प्रमुख को सूचित किए बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थिति रहता है तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगें।

1.6 **वास्तविक निवासी की पात्रतायें**: पाठयक्रमों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी।

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक पांच वर्ष की अवधि में म.प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार म.प्र. का वास्तविक निवासी हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 11 में)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री होः

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवा निवृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 12 में)

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाक-तार टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक म.प्र. में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 13 में)

(3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 14 में)

स्पष्टीकरण 1 : म.प्र. का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी म.प्र. का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गयी दोनों शर्तो (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा/रही हो अथवा उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता/माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्ष से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल संपत्ति रखता हो।

एवं

(ब) उसने म.प्र. स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने म.प्र. स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप 11 के अनुसारं) कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि, कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 (अभिभावक) : किसी भी आवेदक के वैध अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हों। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) :यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षो से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व ही क्रमश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होगें।

1.7 **आयु सीमा** : प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु 31 दिसम्बर 2024 को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

1.8 फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है परंतु पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यथ्यिों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रारूप 17 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.9 **आरक्षण :**

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए क्रमश: 16, 20, 27 एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ब) सभी आरक्षित वर्गो में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान होरीजोन्टल आरक्षित रहेगें।

(1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा में से किन्ही दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों /छात्राओं के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों ।

(2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 15 में)

(स) सभी वर्गो के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत (प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में) होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा।

(द) भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों /भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पुत्र एवं पुत्रियों/ आश्रितों के लिए पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत स्थान होरिजोन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित होंगे एवं उपरोक्त होरीजोन्टल आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर रिक्त स्थानो की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 भाग-अ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 भाग-स में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे ।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में) ।उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-11 में प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2024 का अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है । (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में)

टिप्पणी :- सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगाः-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा/ उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से निःशक्त कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिको के आश्रित।
5. निम्न लिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रितः
   परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

NEET-UG के प्राप्तांक के आधार पर क्रमांक 1 से 7 तक प्रत्येक प्राथमिकता क्रम में प्रावीण्य सूची तैयार होगी एवं प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक क्रम में मेरिट के अनुसार सीट आवंटन किया जावेगा।

(ई) पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में 03 प्रतिशत स्थान प्रत्येक वर्ग में दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा एवं संबंधित उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो रिक्त स्थानो की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश निम्नलिखित शारीरिक विकलांगताओ से ग्रस्त है, तो उन्हें बी.व्ही.एससी. एण्ड ए. एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जायेगा-

(1) समूची देह की निःशक्तता, जिसमें वक्ष/रीढ की 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता शामिल हो,
(2) पैरों में 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता,
(3) हाथों में निःशक्तता,
(4) नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है,
(5) प्रगामी रोगो, जैसे पेशीविकृति, इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार,
(6) ऐसी विकलांगताएं जिनसे पशु चिकित्सक के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती हो,

विकलांगता को विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम-से-कम तीन विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिनमें से दो संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए। उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम-से-कम तीन माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(फ) सभी वर्गो के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेंगी।

(व) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- अनुसूचित जाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणीयों के बिना वर्ग के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेगें।
- आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणी के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेगें।

(भ) आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** वर्ग हेतु 10 प्रतिशत सीटे आरक्षित रहेगीं, जिसमें प्रवेश मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किया जावेगा (प्रमाण पत्र प्रारूप- 16 में)।

(म) आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दाशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।

(न) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(प) अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग हेतु पंजीयन पत्र में अंकित जानकारी पंजीयन समाप्त हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

1.10.1 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (NEET-UG) 2024 प्रवेश परीक्षा के आधार पर बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठयक्रम में प्रवेश होगा।

1.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अन्तिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा। परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गो में लागू नहीं हेगा।

(ब) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेगी।

1.10.3 महाविद्यालयों में प्रवेश NEET-UG 2024 परीक्षा के मेरिट के आधार पर आनलाईन/स्पॉट काउंसलिंग के द्वारा सीट आवंटन किया जावेगा। सभी सीटों पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा कांउसलिंग की जावेगी।

1.11 **प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण** : आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्रवेश दी गयी संस्था में, प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठयक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उस निर्णय हेतु मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग को हे। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में

निर्णय लेने का अधिकार म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है,तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

1.12 विश्वविद्यालय काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नही मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन काउन्सलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ndvsu.org** /पोर्टल **https://ndvsu.mponline.gov.in** देखते रहें।

1.13 यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु शामिल होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।

1.14 यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउसलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है,तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

1.15 सफल अभ्यार्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी।

1.16 **शिक्षण शुल्क की जानकारी**: (NEET) 2024 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञानविश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महू एवं रीवा में साढ़े पांच (5½) वर्षीय बी.व्ही.एस.सी. एंड ए.एच पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गो के छात्रों से निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा :

स.क्र.	**वर्ष**	**कुल शुल्क (रूपए में)**	
		फ्री सीट	**पेमेंट सीट**
1	प्रथम वर्ष	73860/-	283860/-
2	द्धितीय वर्ष	66750/-	276750/-
3	तृतीय वर्ष	66750/-	276750/-
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	95250/-	410250/-
5	पंचम वर्ष	66750/-	276750/-

छात्रावास हेतु शुल्क

स.क्र.	**वर्ष**	**कुल शुल्क (रूपए में)**
1	प्रथम वर्ष	21000/-
2	द्धितीय वर्ष	17000/-
3	तृतीय वर्ष	17000/-
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	25500/-
5	पंचम वर्ष	17000/-

विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

टीप:- विश्विद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है।

शुल्क वापसी- सत्र 2024 - 25 में बी.व्ही. एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापसी नियमानुसार की जावेगी।

1.17 **नोटरीकृत जमानत बांड**: बी.व्ही. एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय, अभ्यर्थी को 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक नोटरीकृत जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. कार्यक्रम पूरा होने से पहले उपस्थिति की कमी सहित किसी भी कारण से प्रवेश के बाद कभी भी अध्ययन छोड़ने की स्थिति में, छात्र को कॉलेज से प्राप्त कुल वजीफे की राशि (यदि कोई हो) वापस कर दी जाएगी, साथ ही कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1.00 लाख रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि दंड के रूप में वापस कर दी जाएगी।

कुलसचिव,
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

भाग 2

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में वर्ष 2024-25 में बी.एफ. एससी. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1.0 **सामान्य जानकारी**:- ये नियम नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रकाशित **बी.एफ. एससी.** स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम कहलायेंगे जिसमें प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (NEET-UG) 2024 के मेरिट के आधार पर किया जावेगा ।

1.1 स्नातक डिग्री एवं अवधि: **बी.एफ. एससी.** पाठयक्रम की अवधि चार (**4**) वर्ष है एवं शिक्षा का माध्यम अग्रेजी भाषा होगी। **(ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त)**

1.2 स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें

1.2.1 **<u>बी.एफ. एससी. पाठयक्रम</u>** में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे, जिनके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET-UG) 2024 के आधार पर की जावेगी।

1.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होनें माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा संचालित (10+2) पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या केन्दीय सरकार अथवा संबधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल की 12 वी की समकक्ष परीक्षा में नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

(अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान

तथा

(ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इस पाठयक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठयक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हताकारी 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक सूची प्रस्तुत करेगें। ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की अर्हताकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होगें, भले ही उन्होंने NEET-UG की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।

1.2.3 वे प्रत्याशी जो म. प्र. में स्थित किसी भी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं, उनको प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

1.3 **न्यूनतम योग्यता:** अभ्यर्थी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET) 2024 परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा । श्रेणी एवं वर्ग वार न्यूनतम नीट परसेन्टाइल अंक (Cut-Off Marks) Qualifying Criteria of NEET (UG) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा समय समय पर जारी निंदेशों के अधीन मान्य होगें। यह Cut-Off Marks पंजीयन हेतु एवं सीटों के आवंटन हेतु लागु होगें। आवश्यतानुसार Cut-Off Marks कम किया जा सकता हैं। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET) 2024 परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा ।

बी.एफ. एससी. पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित/ आथिर्क रूप से कमजोर/ अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण् होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण् होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 47.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें । परन्तु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1.4 मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण अगले पृष्ठ में दर्शाया गया है।

बी.एफ. एससी. पाठयक्रम में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

1. फ्री सीट

महाविद्यालय	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							EWS		महा योग
	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर	**7**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**6**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**2**	**1**	**34**

2. पेमेंट सीट

महाविद्यालय	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							EWS		महा योग
	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	KS	FF	SN	PH	योग	X	F	
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**8**

वर्गः F = महिला, KS= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, SN = सैनिक, PH = दिव्यांग , **EWS** = आर्थिक रूप से कमजोर, X = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ।

1.4.1. **पेमेंट सीटों में प्रवेश:-**

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में 20 प्रतिश्त सीटें पेमेंट सीट होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) (NEET) 2024 के मेरिट के आधार पर पेमेंट सीट में प्रवेश दिया जायेगा। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यथ्रियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के सीटों में प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होगें। काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** / पोर्टल https://ndvsu.mponline.gov.in देखें।

1.4.2. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में 20 प्रतिश्त सीटों पर प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्र, नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा।

1.4.3. **कश्मीरी प्रवासी एवं कशमीरी पंडित/हिंदु परिवारों (अप्रवासी) कशमीरघाटी में निवासरत के बच्चों के बी.एफ.एससी.** उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिश्त सीटें निर्धारित होंगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें। इनकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है।

1.4.3.1 **जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थीयों के लिए बी.एफ. एससी.** उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त दो सुपरन्यूमरी कोटा सीटें निर्धारित होंगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें। इनकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है।

1.4.4. **एन.आर.आई./अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु** (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें) :

बी.एफ. एससी. उपाधि पाठ्यक्रम हेतु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. के लिए आरक्षित रहेगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ndvsu.org** देखें। इनकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय स्तर पर की जाती है।

1.4.5 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात संस्था प्रमुख को सूचित किए बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थिति रहता है तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगें।

1.6 **वास्तविक निवासी की पात्रतायें** : पाठयक्रमों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी।

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक पांच वर्ष की अवधि में म.प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार म.प्र. का वास्तविक निवासी हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 11 में)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री होः

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवा निवृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 12 में)

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाक-तार टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक म.प्र. में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 13 में)

(3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 14 में)

स्पष्टीकरण 1 : म.प्र. का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी म.प्र. का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गयी दोनों शर्तो (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा/रही हो अथवा उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता/माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्ष से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल संपत्ति रखता हो।

एवं

(ब) उसने म.प्र. स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने म.प्र. स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप 11 के अनुसारं) कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि, कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 (अभिभावक) : किसी भी आवेदक के वैध अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हों। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) :यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षो से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व ही क्रमश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होगें।

1.7 **आयु सीमा** : प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु 31 दिसम्बर 2024 को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

1.8 फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है परंतु पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यथ्यिों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। । मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रारूप 17 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.9 **आरक्षण :**

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए क्रमश: 16, 20, 27 एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ब) सभी आरक्षित वर्गो में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान होरीजोन्टल आरक्षित रहेगें।

(1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा में से किन्ही दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों /छात्राओं के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों ।

(2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 15 में)

(स) सभी वर्गो के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत (प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में) होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा।

(द) भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों /भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पुत्र एवं पुत्रियों/ आश्रितों के लिए मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत स्थान होरिजोन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित होंगे एवं उपरोक्त होरीजोन्टल आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर रिक्त स्थानो की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 भाग-अ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 भाग-स में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे ।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में) ।उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-11 में प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2024 का अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है । (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में)

टिप्पणी :- सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगाः-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा/ उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से निःशक्त कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिको के आश्रित।
5. निम्न लिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रितः
   परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

NEET-UG के प्राप्तांक के आधार पर क्रमांक 1 से 7 तक प्रत्येक प्राथमिकता क्रम में प्रावीण्य सूची तैयार होगी एवं प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक क्रम में मेरिट के अनुसार सीट आवंटन किया जावेगा।

(ई) मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में 03 प्रतिशत स्थान प्रत्येक वर्ग में दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा एवं संबंधित उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो रिक्त स्थानो की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश निम्नलिखित शारीरिक विकलांगताओ से ग्रस्त है, तो उन्हें **बी.एफ. एससी.** पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जायेगा-

(1) समूची देह की निःशक्तता, जिसमें वक्ष/रीढ की 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता शामिल हो,
(2) पैरों में 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता,
(3) हाथों में निःशक्तता,
(4) नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है,
(5) प्रगामी रोगो, जैसे पेशीविकृति, इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार,
(6) ऐसी विकलांगताएं जिनसे पशु चिकित्सक के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती हो,

विकलांगता को विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम-से-कम तीन विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिनमें से दो संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए। उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम-से-कम तीन माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(फ) सभी वर्गो के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेंगी।

(व) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- अनुसूचित जाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणीयों के बिना वर्ग के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेगें।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणी के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेगें।

(भ) आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** वर्ग हेतु 10 प्रतिशत सीटे आरक्षित रहेगीं, जिसमें प्रवेश मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किया जावेगा (प्रमाण पत्र प्रारूप- 16 में)।

(म) आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दाशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।

(न) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(प) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

1.10.1 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (NEET-UG) 2024 प्रवेश परीक्षा के आधार पर **बी.एफ. एससी.** पाठयक्रम में प्रवेश होगा।

1.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अन्तिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा। परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गो में लागू नहीं हेगा।

(ब) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेगी।

1.10.3 महाविद्यालय में प्रवेश NEET-UG 2024 परीक्षा के मेरिट के आधार पर आनलाईन/स्पॉट काउंसलिंग के द्वारा सीट आवंटन किया जावेगा। सभी सीटों पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा कांउसलिंग की जावेगी।

1.11 **प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण** : आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्रवेश दी गयी संस्था में, प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठयक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उस निर्णय हेतु मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग को हे। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में

निर्णय लेने का अधिकार म.प्र. शासन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है,तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

1.12 विश्वविद्यालय काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नही मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन काउन्सलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ndvsu.org** /पोर्टल **https://ndvsu.mponline.gov.in** देखते रहें।

1.13 यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु शामिल होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।

1.14 यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउसलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है,तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ/सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

1.15 सफल अभ्यार्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी।

1.16 **शिक्षण शुल्क की जानकारी**: (NEET) 2024 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञानविश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में चार (4) वर्षीय **बी.एफ. एससी.** पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गो के छात्रों से निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा :

फ्री सीट:-

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	52740/-	11000/-	63740/-
2	द्धितीय वर्ष	30750/-	26000/-	56750/-
3	तृतीय वर्ष	30750/-	26000/-	56750/-
4	चतुर्थ वर्ष	30750/-	26000/-	56750/-

पेमेंट सीट:-

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	172740/-*	11000/-	183740/-
2	द्धितीय वर्ष	90750/-	86000/-	176750/-
3	तृतीय वर्ष	90750/-	86000/-	176750/-
4	चतुर्थ वर्ष	90750/-	86000/-	176750/-

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

छात्रावास हेतु शुल्क (उपलब्ध होने पर)

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	12500/-	8500/-	21000/-
2	द्धितीय वर्ष	8500/-	8500/-	17000/-
3	तृतीय वर्ष	8500/-	8500/-	17000/-
4	चतुर्थ वर्ष	8500/-	8500/-	17000/-

विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा

टीप:- विश्विद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है।

शुल्क वापसी- सत्र 2024 - 25 में बी.व्ही. एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापसी नियमानुसार की जावेगी।

कुलसचिव,
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्क्रूटनी, काउन्सलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावें)

मैं घोषणा करता हूं कि मैने (NEET) 2024 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये है । तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन काउन्सलिंग में भाग ले रहा/रही हूं ।

काउन्सलिंग में भाग लेने के लिये आज दिनांक .....को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउन्सलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जायें। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय-

1. NEET-UG 2024 का रोल नं. : .....
2. मेरिट सूची क्रमांक्र : .....
3. NEET-UG परीक्षा मे प्राप्तांक : .....
4. पूरा नाम : .....
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता .....
   टेलिफोन/मोबाईल न. .....

6.1 श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग) .....

6.2 संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्राता संग्राम सैनानी, विकलांग, ओपन): .....

6.3 आधार नम्बर : .....

7. मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत किये है उनके सामने सही (□) का चिन्ह लगायें (स्क्रूटनी समिति सदस्य द्वारा)

   1. NEET-UG 2024 की मूल अंक सूची।
   2. अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची ।
   3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

Book No.	Disp No.	Date	Place	Issuing Authority

   4. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची । DD MM YYYY

   5. चरित्र प्रमाण पत्र ।
   6 .यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप सर्टिफिकेट।
   7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र

No.	Date of issue	Place	Issuing Authority

   8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी., प्रमाण पत्र

9. वित्तीय वर्ष-2023-2024 (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में । (प्रारूप-09-अ एवं 09-ब)

10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित । (यदि लागू हो तो)

11. आधार प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

काउन्सलिंग समिति द्वारा भरा जावे

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध करायें मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों 01 से 10 की पूर्णतः जॉच की। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये है। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है ।

सदस्य काउन्सलिंग समिति

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउन्सलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्रों एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों .....से काउन्सलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

अध्यक्ष, काउन्सलिंग समिति

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

प्रारूप-1-अ

शपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री .....उम्र.....निवासी.....आज दिनांक .....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा काउन्सलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर, मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नाम .....

पूरा पता .....

टेलिफोन/मोबाईल न. .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नाम .....

पूरा पता .....

टेलिफोन/मोबाईल न. .....

2. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन/मोबाईल न. .....

ANNEXURE-2

DECLARATION FORM

(To be submitted candidate in the college at the time of admission

FOR

Allotment of Seat in Veterinary College

I.....

S/o,D/o,.....Resident of.....

..... Bearing Roll No.

..... have been placed at Rank Number..... in the NEET-UG 2024 conducted by NEET-UG 2024 and I have opted a Seat at College_____Course _____ in the allotment, and have taken admission there on dated _____

Signature of the Candidate

Name _____

Rank No. _____

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET-UG) वर्ष..... .के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे .....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान : ..... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनॉकः ..... (कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा(यूजी) वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है।

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है. वे इस इकाई में दिनांक..... से सेवारत है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

अथवा

ब- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

अथवा

स- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है। वह मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी नही है परन्तु मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में दिनांक..... से सेवारत है।।

स्थान..... हस्ताक्षर : आफीसर कमांडिंग.....

दिनांक..... .....

(कार्यालय सील)

प्रारूप 3 भाग-स

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम)..... राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET-UG) वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील..... जिला.....में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान : .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

(कार्यालय सील)

प्रारूप-4

भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....प्रकरण क्रमांक .....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....निवासी ग्राम/नगर .....वि.खं. .....तहसील ..... जिला ..... संभाग .....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ठ किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ..... है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम/सील

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

<u>प्रारूप-4</u>

भाग (ब)

म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

स्थाई प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ..... आत्मज श्री.....निवासी/ग्राम.....जिला/संभाग ..... मध्यप्रदेश के निवासी है जो .....जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .....(पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .....संभाग .....में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्रा क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ.प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक..... प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम(सील)

प्रारूप - 5

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार..... श्री(पिता) .....एवं श्रीमती (माता)..... के पुत्र/पुत्री है। श्री/श्रीमती.....स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्री..... के/की वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

2- श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला..... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान---------- हस्ताक्षर : कलेक्टर

दिनांक---------- (कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

.

प्रारूप-6

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार /तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

विषयः- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत् ।

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है । मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें ।

1-	मेरा नाम	:	----------
2-	पिता/पति का नाम	:	----------
3-	जन्मतिथि	:	----------
4-	निवास का पूरा पता	:	मकान नं.....मोहल्ला.....
			ग्राम/शहर का नाम.....
			तहसील.....जिला.....
5-	मेरी पत्नी का विवरण	:	नाम.....आयु.....वर्ष.....
6-	मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण	:	(1)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..
		:	(2)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..
		:	(3)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..

संलग्नः- शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर ----------

आवेदक का नाम (----------)

लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील.....जिला.....

पावती

श्री/श्रीमती.....के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक..... को प्राप्त हुआ

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मय सील

प्रारूप-7

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

शपथ-पत्र

मैं..... आत्मज/पति श्री.....

आयु (लगभग) ..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि -

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूं ।

2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती.....एवं उम्र (लगभग).....वर्ष है ।

3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री - (1)श्री/कु0.....आयु.(लगभग).....वर्ष।

(2)श्री/कु0.....आयु.(लगभग).....वर्ष।

(3)श्री/कु0.....आयु.(लगभग).....वर्ष।

4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1 दिनांक 28 अक्टूबर,2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)

(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं.....मोहल्ला.....ग्राम.....तहसील..... जिला.....में वर्ष ..... में पैदा हुआ/हुई हूं। मैने संस्था..... ग्राम/शहर .....तहसील.....जिला..... में वर्ष..... से वर्ष.....तक शिक्षा प्राप्त की है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 ;पद्ध के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाये । मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)

(2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....जिला..... में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूं ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)

(3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षो से ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील..... जिला.....में निरंतर निवासरत हूं और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे

नं0.....रकबा.....भू-खण्ड/मकान है । मैं .....उद्योग/व्यवसाय करता हूं । मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर..... है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 ;पपपद्ध के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षो से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पति धारित करता हो/उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो)

(4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम..... कार्यालय का नाम.....विभाग का नाम.....के पद पर पदस्थ हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूं

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार)

(5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित.....नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में .....पद पर/से.....कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए है उसका पूर्ण विवरण दें)

(6) मैं केन्द्र शासन के विभाग..... मैं ..... के पद पर .....कार्यालय .....तहसील .....जिला ..... के पद पर वर्ष .....से पदस्थ होकर कार्यरत हूं ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

(7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष.....) अधिकारी हूं .....पद पर.....कार्यालय/मंत्रालय..... में पदस्थ हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूं ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम)

(8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद..... (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूं ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाए)

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु ..... वर्ष., निवासी..... सत्यापन करता/करती हूं कि शपथपत्र की कंडिका.....लगायत ..... में उल्लेखित जानकारी मेंरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है ।

सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान..... में किया गया ।

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

- जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए

प्रारूप-8

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील ..... जिला .....

प्र.क्र. /बी-121/ वर्ष ..... दिनांक .....

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाऐ जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ..... पिता/पति ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला .....(मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक .....मैं निर्धारित मापदण्ड की कड़िका क्रमांक ..... की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है ।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक दिनांक..... ..... के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी' /अवयस्क बच्चे' जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम.....आयु.....वर्ष है ।

(2) आवेदक के अवयस्यक पुत्र/पुत्री(1).....आयु.....वर्ष

(2).....आयु.....वर्ष

(3).....आयु.....वर्ष

(4).....आयु.....वर्ष

टीपः- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह0 तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

- जो लागू न हो काट दें ।

प्रारूप 09-अ

आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार,

.....

.....

विषयः- आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत् ।

महोदय/महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :-

1- मेरा नाम : .....

2- पिता/पति का नाम : .....

3- निवास का पूरा पता : .....

.....

4- संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त

स्त्रोतों से मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आयः-.....

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहित (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम ( )

(परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं ।)

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार टप्पा/तहसील.....
जिला.....

पावती

श्री/श्रीमती..... के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक.....को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्रारूप-09-ब

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

टप्पा/तहसील.....जिला.....

प्र.क्र. /बी-121/वर्ष..... दिनांक.....

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु0.....
पिता/पति.....निवासी.....तहसील.....
जिला.....मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये.....(शब्दों में.....) है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....जिला.....

सील

प्रारूप-10

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET-UG) वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेष के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था.....(संस्था का नाम) में सत्र.....से सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान : .....

दिनांकः .....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पद .....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-11

वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री .....जो तहसील ..... जिला .....मध्यप्रदेश का निवास है, क्योंकि वह-

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है।

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

इसके अतिरिक्त

1 उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित, परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवी/बारहवीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा। .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावें।

\

प्रारूप - 12

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET-UG) वर्ष ..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है।

क- जो ..... विभाग में ..... पद पर..... .....(तिथि)से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

ख- जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो.....(तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

ग- जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....(तिथि) को हो गई थी।

घ- जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान ---------- कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर...

दिनांक---------- .....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवास संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण पत्र

प्रारूप-13

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET-UG) वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है जो दिनांक 1 जनवरी 2023 को अथवा उसके पूर्व की तिथि..... से मध्यप्रदेश में स्थित ..... विभाग में..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान ---------- कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक---------- नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

.....

प्रारूप -14

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... ..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो ..... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है, यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

स्थान ---------- हस्ताक्षर : कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक---------- .....

(कार्यालय सील)

प्रारूप - कार्यरत किसान का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक / /

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम .....के माता/पिता/श्रीमती/श्री ..... वास्तविक, कार्यरत स्थाई किसान हैं । उनके पास ..... हेक्टेयर ..... गांव0 .....तहसील ..... जिला ..... राज्य मध्यप्रदेश में है।

वे कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा वे खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है।

तहसीलदार

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम ..... ने पांचवी, आठवी, दसवी एवं बारहवीं कक्षाओं में से निम्न दो कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न दो परीक्षायें : ग्रामीण क्षेत्र के निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की हैं।

शाला का नाम एवं स्थान/परीक्षा केन्द्रों का नाम (कोई दो)

1. पांचवी कक्षा(प्राथमिक) .....
2. आठवीं कक्षा(माध्यमिक) .....
3. दसवीं कक्षा(मैट्रिक/हाई स्कूल) .....
4. बारहवीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक) .....

स्थान.....

दिनांक.....

तहसीलदार/विकासखंड अधिकारी

आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) वर्ग हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रारूप - 16

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
II. जिसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी.....जाति..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार

नोटराइज्ड शपथपत्र

(रूपये 100 के नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी /मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र

में..... पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री..... निवासी.....

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय / मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र .....में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

मै शपथ पूर्वक यह कथन करता / करती हूं कि मैने अन्य राज्य से प्रवेश हेतु स्थानीय निवासी /मूल निवासी होने का लाभ प्राप्त नही किया हैं ।

मैने भली भांति समझ लिया हैं कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट :- अभ्यर्थी के व्यस्क न होने पर शपथपत्र पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा किये जायेंगे ।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी / अभिभावक

नाम .....

पता.....

दिनांक.....